अनुबंध-1

गंगादास
संयुक्त सचिव
अ.शा.पत्र सं0 19020/35/93-एससीडी-6

भारत सरकार
कल्याण मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01
दिनांक 29.7.93

प्रिय श्री

विशेष संघटक योजना (एससीपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) की योजना का संबंध अनुसूचित जातियों के विकास संबंधी भारत सरकार की कार्यनीति से है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के व्यावसायिक पैटर्न के संबंध में उनके लिए आर्थिक विकास कार्यक्रमों को बल देना और दूसरा, उनके सीमित संसाधनों से उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करना है । उन उद्देश्यों के बारे में श्रेणीबद्ध निर्देश जारी किए गए हैं जिसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग अनुसूचित जातियों के विकास हेतु किया जा सके ।

2. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना की जांच करने पर, यह पाया गया कि विशेष केन्द्रीय सहायता के एक बड़े भाग को योजना की व्यवहार्यता के साथ बिना किसी प्रभावी संयोजन के व्यय किया गया है । कुछ राज्यों ने लम्बी अवधि तक निधियों को अव्ययित रखा ।

3. अनुसूचित जातियों का विकास सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक एवं अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने का विशेष प्रयास किए जाने के बावजूद, यह पाया गया कि इससे अधिक की अपेक्षा है । अनुसूचित जाति विकास के क्षेत्र में आने वाली मुख्य कठिनाई आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रही हैं । भूमिहीन कृषि मजदूरों, उपान्तिक किसानों, शिल्पकारों, नागरिक स्वच्छता कार्यकर्त्ताओं, चमड़ा उतारने वाले लोगों, चर्मकारों और चमड़े का कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा असंगठित मजदूर जैसे समूहों के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता सतत बनी हुई है ।

4. इन सभी बातों पर विचार करते हुए, पूर्व दिशानिर्देशों के प्रवर्धन में, यह निर्णय लिया गया है कि विद्यमान विशेष केन्द्रीय सहायता के कार्य क्षेत्र में उन ब्लाकों के अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रमों को इस शर्त पर शामिल किया जाना चाहिए कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटन का उपयोग अनुसूचित जातियों के विकास के लिए करने हेतु अधिक प्रयास को बढ़ावा दिया जाए जहां अनुसूचित जातियों की आबादी 50% या इससे अधिक है ।

5. तदनुसार, विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत मदों की एक निदर्शी सूची इसके साथ संलग्न है जिसके लिए विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग व्यक्तिगत रूप से और/अथवा समूह के रूप में अनुसूचित जाति आबादी को शामिल करते हुए विशिष्ट व्यवहार्य योजनाओं पर किया जा सकता था। इन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाए ।

6. मैं कृतज्ञ होऊंगा यदि आप समाज कल्याण मंत्रालय और योजना आयोग को सूचित करते हुए इस संबंध में सभी संबंधित लोगों को आवश्यक निर्देश जारी करते हैं ।

सादर

आपका,
ह0
(गंगादास)

सभी राज्यों/संघ राज्य
क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
सं0 19020/35/93-एससीडी-6

दिनांक 29 जुलाई, 1993

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति प्रेषितः

1. सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली
2. सलाहकार (बीसी), योजना आयोग, नई दिल्ली
3. भारत सरकार के सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग

ह0
(गंगादास)
संयुक्त सचिव

अनुसूचित जाति परिवारों के विकास के लिए परिवारोन्मुखी सह आय सृजक योजनाएं-

1. **कृषि**

(क) अनुसूचित जाति के किसानों के लिए प्रशिक्षण -सह-निरूपण ।

(ख) कृषि विभाग के सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति के किसानों को बीज/उर्वरक, मिनी किट्स और कीटनाशक संवितरित करना ।

(ग) अनुसूचित जाति के किसानों की भूमि में वाणिज्यिक फसल कार्यक्रम ।

(घ) कृषि विभाग के सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति के किसानों की भूमि में अधिक उत्पादन संबंधी विविधि कार्यक्रम ।

(ड.) अपनी भूमि के सुधार/विकास के लिए अनुसूचित जातियों के लोगों/भूमिहीन कृषि मजदूरों को सहायता।

2. **बागवानी**

(क) अनुसूचित जाति लाभार्थियों की भूमि में फल एवं सब्जी की खेती आरंभ करना ।

(ख) फल एवं सब्जी उगाने एवं उत्पाद के विपणन में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रशिक्षित करना ।

(ग) उपरोक्त से संदर्भित लघु नर्सरी बीज फार्म ।

3. **भूमि सुधार**

(क) उन अनुसूचित जाति परिवारों, जिनको भूमि का विकास करने और कृषि कार्य हेतु अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है, को सहायता ।

(ख) 50% या इससे अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले ब्लाकों के भूमि रिकार्ड तैयार करना ।

4. **लघु सिंचाई**

(क) बांधों, दिशा-परिवर्तन चैनलों, जल-एकत्रीकरण संरचना की जांच करना, और 50% या इससे अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति समूहों/समुदाय के लिए कुंआ, टय़ूबवेल खोदना और सहकारी लिफ्ट प्वाइंट बनाना ।

(ख) कुंआ खोदने, टय़ूबवेल, सिचांई पम्प सेट, फार्म तालाबों के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए सब्सिडी/सहायता ।

5. **भू-संरक्षण**

(क) भू-संरक्षण उपायों के रूप में अनाज एवं मसालों का रोपण करना ।

6. **पशु-पालन**

(क) अनुसूचित जाति परिवारों के लिए दूध देने वाले पशुओं, मुरगा-मुरगी, बकरी, भेड़, सूअर एवं बत्तख यूनिटों की आपूर्ति करना ।

(ख) अनुसूचित जातियों की पर्याप्त आबादी वाले क्षेत्रों में दुग्ध एवं मुरगा-मुरगी सहकारी समितियों को सहायता।

7. **वन खंड**

(क) अनुसूचित जाति परिवारों को लाभ प्रदान करते हुए सामाजिक एवं कृषि - वनखंड का विकास ।

8. **मत्स्य पालन**

(क्) मत्स्य पालन के लिए अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता ।

(ख) मत्स्य उत्पादन, एकत्रीकरण आदि में अनुसूचित जातियों को प्रशिक्षण ।

(ग) अनुसूचित जाति मछुवारा समितियों का विकास ।

(घ) मछली पकड़ने वाली नावों, जाल आदि की खरीद के लिए अनुसूचित जाति के मछुवारों को सब्सिडी/सहायता।

9. **ग्रामीण एवं लघु उद्योग**

(क) उत्पादन की आधुनिक विधि में पारम्परिक अनुसूचित जाति शिल्पकारों को कौशल विकास प्रशिक्षण ।

(ख) व्यवसाय और लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति के शिल्पकारों/कारीगरों को सहायता ।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ।

(घ) मधुमक्खी पालन

(ड.) रेशम - उत्पादन

(च) अनुसूचित जाति परिवारों के मध्य नए शिल्प कार्यक्रमों की शुरूआत ।

10. **सहकारी समितियां**

(क) नई सहकारी समितयों का गठन और चमड़ा उद्योग, बुनाई और ईंट बनाना आदि जैसे पारम्परिक व्यवसायों में उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति के पर्याप्त सदस्यों वाली विद्यमान सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना ।

(ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों, मजदूर सहकारी समितियों और अनुसूचित जाति के पर्याप्त सदस्यों वाली अन्य सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना ।

(ग) उपभोज्य मदों आदि के उत्पादन में संलग्न अनुसूचित जाति सहकारी को कार्य संचालन पूंजी सहायता ।

(घ) सहकारी समितियों के अनुसूचित जाति सदस्यों को सहकारी समितियों के प्रबंधन एवं प्रशासन में प्रशिक्षण।

(ड.) सहकारी समितियों की प्रक्रिया/िवपणन करना ।

11. **शिक्षा**

(क) लघु स्तरीय साक्षरता वाले क्षेत्रों में आवासीय स्कूल की स्थापना और संचालन ।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए स्थापित स्कूलों/छात्रावासों की मरम्मत और समुचित रखरखाव ।

12. **अनुसूचित जाति महिलाएं**

(क) अनुसूचित जाति महिलाओं के उपभोक्ता सामानों के उत्पादन और विपणन के लिए उनको तथा उनकी सहकारिता समितियों को सहायता ।

(ख) पारिवारिक उपार्जन में सुधार के लिए बनाई गई योजनाओं में अनुसूचित जाति महिलाओं को प्रशिक्षण।

13. **पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण**

परिवारोन्मुखी पारिस्थितिकी कार्यक्रमों से संबंध रखने वाले पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के सुधार कार्यक्रम।

14. **न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम**

(क) 50% या इससे अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों में होमियोपैथिक, नेचुरोपैथिक एवं योग संबंधी उपचारों के लिए औषधालय/अस्पताल/केन्द्र स्थापित करना।

(ख) सचल चिकित्सा औषधालयों की स्थापना, जिससे कि सभी अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए लक्षित किया जा सके ।

(ग) अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति और लाइट का प्रावधान ।

(घ) अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों में पेयजल का प्रावधान, जहां पेयजल की सुविधा नहीं है ।

(ड.) 50% या इससे अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों/ब्लाकों में ग्राम लिंक रोड और लघु सी.डी. कार्यों का विकास ।